भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3871
उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024

व्यापक दूरसंचार विकास योजना

3871. श्री दिलीप शइकीया:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) की प्रमुख विशेषताएं, इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं; और
(ख) इस योजना से उत्तर-पूर्व क्षेत्र को होने वाले लाभों सहित तत्संबंधी भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्तपोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में मोबाइल टावरों की स्थापना करके चिन्हित किए गए सेवा से वंचित गांवों को और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल कवरेज प्रदान करना शामिल है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की नेटवर्क से वंचित जनता को सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क की पहुंच उपलब्ध कराना है। इससे नागरिकों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लाभ प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए वहनीय और समान रूप से संचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अलावा एनईआर सहित देश भर के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं के सेचुरेशन के लिए डीबीएन द्वारा वित्तपोषित परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

अक्टूबर, 2024 तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सेवा से वंचित गांवों में और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए 3223 गांवों और 286 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थलों को शामिल करते हुए विभिन्न डीबीएन योजनाओं के तहत कुल 2619 टावर स्थापित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सेवा से वंचित शेष गांवों को डीबीएन द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना है।

****